भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1785

सोमवार, 31 जुलाई, 2023 / 9 श्रावण, 1945 (शक)

बीड़ी कर्मी

1785. श्री जनार्दन मिश्र:

श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बीड़ी बनाने के काम में शामिल महिलाओं और बच्चों की संख्या और उनके स्वास्थ्य पर काम के प्रभाव का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो वर्ष 2010 से राज्य-वार, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार बीड़ी उद्योग मे लगी महिलाओं के पुर्नवास के लिए सुरक्षित और स्वस्थ करियर प्रदान करने के लिए योजना चलाती हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त योजना से लाभान्वित महिलाओं का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार बीड़ी उद्योग में लगे बच्चों के पुनर्वास के लिए कोइ योजना चलाती है ताकि उनकी शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित हो सके और उन्हें हानिकारक और खतरनाक श्रम में शामिल होने से बचाया जा सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): बीड़ी कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए श्रमिक कल्याण योजना 18 क्षेत्रों में स्थित श्रम कल्याण संगठनों के माध्यम से पूरे देश में कार्यान्वित की जाती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश में 49.82 लाख पंजीकृत बीड़ी कामगार हैं, जिनमें से 36.25 लाख महिलाएं हैं और बीड़ी बनाने के उद्योग में किसी बच्चे के नियोजित होने की सूचना नहीं है। महिला बीड़ी कामगारों की क्षेत्रवार संख्या अनुबंध-I में दी गई है।

(ग) और (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएलएंडई) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के सहयोग से अप्रैल, 2017 से मार्च, 2020 तक बीड़ी कामगारों और उनके आश्रितों को वैकल्पिक नौकरियां देने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रहा था। हालांकि, कोविड-19 के कारण और समान लक्षित लाभार्थियों के लिए परस्पर व्यापी (ओवरलैपिंग) उद्देश्यों वाली योजना के विलय/समापन के संबंध में वित्त मंत्रालय के निर्देश के कारण कौशल विकास प्रशिक्षण जारी नहीं रखा जा सका। इसके अतिरिक्त, एमओएलएंडई ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत बीड़ी कामगारों और उनके आश्रितों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से अनुरोध किया है ताकि उन्हें वैकल्पिक रोजगार मिल सके। अप्रैल, 2017 से मार्च, 2020 तक योजना के तहत लाभार्थियों का ब्यौरा अनुबंध- II में दिया गया है।

जारी....2/-

(ङ) और (च): बीड़ी उद्योग में किसी भी बच्चे के शामिल होने की सूचना नहीं है, तथापि, श्रम कल्याण योजना द्वारा बीड़ी कामगारों के बच्चों के कल्याण का ध्यान रखा जाता है। इस योजना के तीन घटक हैं अर्थात् स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति और आवास तथा इनका ब्यौरा इस प्रकार है: -

(i) 10 (दस) अस्पतालों और 285 औषधालयों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं। विशिष्ट उपचार (जैसे- कैंसर, यक्ष्मा, हृदय रोग, गुर्दा प्रतिरोपण) हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति।

(ii) बीड़ी कामगरों के बच्चों को कक्षा 1 से कॉलेज/विश्वविद्यालय तक के लिए वित्तीय सहायता जो कि कक्षा/पाठ्यक्रम के आधार पर प्रतिवर्ष, प्रतिछात्र 1,000/- रुपये से लेकर 25,000/- रुपये है।

(iii) संशोधित एकीकृत आवास योजना (आरआईएचएस) 2016 के तहत पक्के मकानों के निर्माण के लिए 1,50,000/- रुपये (प्रति लाभार्थी) की सब्सिडी 25:60:15 के अनुपात में तीन (03) किस्तों में अर्थात् क्रमशः 37,500/- रुपये, 90,000/- रुपये और 22,500/- रुपये दी जाती है। तथापि, आरआईएचएस को अब प्रधानमंत्री आवास योजना में समाहित कर दिया गया है।

** ******

दिनांक 31.07.2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1785 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध				
क्र. सं.	**क्षेत्र**	**बीड़ी कामगारों की कुल संख्या**	**बीड़ी बनाने में कार्यरत महिलाओं की संख्या**	**बीड़ी बनाने में नियोजित बच्चों की कुल संख्या**
1	इलाहाबाद	412757	320514	बीड़ी बनाने में कोई भी बच्चा नहीं नियोजित है।
2	अहमदाबाद	39011	6074	
3	अजमेर	38791	36793	
4	बंगलोर	295511	214165	
5	भुवनेश्वर	208212	180000	
6	चंडीगढ़	0	0	
7	देहरादून	0	0	
8	हैदराबाद	458040	452336	
9	जबलपुर	440556	149844	
10	नागपुर	155089	102810	
11	रांची	136519	97972	
12	पटना	296972	206510	
13	रायपुर	3893	3235	
14	कोलकाता	189203	1738313	
15	गुवाहाटी	24398	18519	
16	तिरुनेलवेली	603076	61253	
17	कन्नूर	40276	36707	
18	जम्मू और कश्मीर	0	0	
कुल		49,82,294	36,25,045	

दिनांक 31.07.2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1785 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

बीड़ी कामगारों/आश्रितों के कौशल विकास की स्थिति													
क्षेत्र	**प्रशिक्षण पूरा हो चुका है (प्रशिक्षुओं की संख्या)**				**उपलब्ध कराए गए प्लेसमेंट**								**कुल पुरुष + महिला (प्लैस्मन्ट)**
					2017-18		**2018-19**		**2019-20**		**कुल**		
					पुरुष	**महिला**	**पुरुष**	**महिला**	**पुरुष**	**महिला**	**पुरुष**	**महिला**	
	2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**कुल**									
अहमदाबाद	785	100	164	1049	513	220	2	0	0	8	515	228	**743**
अजमेर	0	30	35	65	0	0	0	0	5	30	5	30	**35**
इलाहाबाद	2	46	35	83	0	0	0	4	14	1	14	5	**19**
बेंगलुरु	0	260	267	527	0	0	19	50	9	62	28	112	**140**
भुवनेश्वर	298	870	1162	2330	10	64	72	330	517	343	599	737	**1336**
गुवाहाटी	36	56	0	92	0	1	1	0	0	0	1	1	**2**
हैदराबाद	0	217	202	419	0	0	1	4	6	18	7	22	**29**
जबलपुर	2	577	221	800	0	0	19	65	21	21	40	87	**127**
कन्नूर	10	0	5	15	3	3	3	3	0	1	6	7	**13**
कोलकाता	182	136	65	383	0	12	29	36	8	9	37	57	**94**
नागपुर	0	296	130	426	0	0	0	0	18	10	18	10	**28**
पटना	3	177	50	230	2	1	19	5	3	2	24	8	**32**
रायपुर	175	175	20	370	34	0	43	51	0	20	77	71	**148**
रांची	0	0	473	473	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
तिरुनेलवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
कुल(1)	**1493**	**2940**	**2829**	**7262**	**562**	**301**	**208**	**548**	**601**	**525**	**1371**	**1375**	**2746**
कुल(2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**863**		**756**		**1126**		**2746**		**-**

समग्र परिणाम - कुल प्रशिक्षित: 1493+2940+2829 = 7262; कुल प्लेसमेंट: 2746; प्लेसमेंट अनुपात –37.81 %

******